

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2017 राजस्व अपील

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. डाल्या पुत्र हरगोविन्द<br>2. जलसिंह पुत्र हरगोविन्द<br>3. मेहन पुत्र हरगोविन्द | } | जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय<br>जिला दौसा । |
|---|---|---|

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.03.2016 मुकदमा नं० 457/2016 सरकार बनाम डाल्या वगै. अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप०।  
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप०।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.10.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 306/2 रकबा 3 बीघा पर सरसो की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नहीं होने का) का अवलोकन नहीं करते हुए, बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी



अति० जिला कलक्टर  
दौसा

प्रकरण सं० 40/2017 राजस्व अपील

हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट्स का किसी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम मोरेड तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 306/2 रकबा 3 बीघा पर सरसो की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का किसी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 306/2 रकबा 3 बीघा से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.03.2016 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर,  
दौसा

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर, दौसा